The Uttaranchal Three Tier Panchayat Raj (Amendment) Act, 2005

Act 30 of 2005

Keyword(s):
Zila, Kshetra, Pradhan, Pramukh

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या–144

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 11 नवम्बर, 2005 ई0

कार्तिक 20, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 618/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005

देहरादून, 11 नवम्बर, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 10 नवम्बर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 30, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :

उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) अधिनियम, 2005

(अधिनियम संख्या 30, सन् 2005)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) का उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) अधिनियम, 2005 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य पर होगा।

भाग—1

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (अधिनियम संख्या 26, वर्ष 1947) (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) का संशोधनः

धारा 11—क तथा 12 का संशोधन

2. मूल अधिनियम की धारा 11—क की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक में तथा धारा 12 की उपधारा (5) के खण्ड (क) के प्रथम परन्तुक में, "सत्ताईस" शब्द के स्थान पर "चौदह" शब्द रखा जायेगा।

भाग—2

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 33, वर्ष 1961) (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) का संशोधनः

धारा 6—क, 7—क, 18—क तथा 19—क का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 6—क की उपधारा (1), धारा 7—क की उपधारा (1), धारा 18—क की उपधारा (1), प्रत्येक, के प्रथम परन्तुक में तथा धारा 19—क की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक में, "सत्ताईस" शब्द के स्थान पर "चौदह" शब्द रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्तियां

4. (1) उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) अध्यादेश, 2005 (उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 2, सन् 2005) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट, अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of The Uttaranchal Threetier Panchayat Raj (Sixth Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 30 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 10 November, 2005.

No. 618/Vidhayee and Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, November 11, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL THREETIER PANCHAYAT RAJ (SIXTH AMENDMENT) ACT, 2005

(Act no. 30 of 2005)

Be it enacted by the State Assembly in the Fifty-sixty year of the Republic of India as follows :–

Further to amend the Uttar Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1947 and the Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam, 1961 (as applicable in the State of Uttaranchal) in the context of the State of Uttaranchal

An

Act

Be it enacted by the State Assembly in the Fifty-sixth year of the Republic of India as follows :–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) अधिनियम, 2005 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य पर होगा।

भाग—1

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (अधिनियम संख्या 26, वर्ष 1947) (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) का संशोधनः

धारा 11—क तथा 12 का संशोधन

2. मूल अधिनियम की धारा 11—क की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक में तथा धारा 12 की उपधारा (5) के खण्ड (क) के प्रथम परन्तुक में, "सत्ताईस" शब्द के स्थान पर "चौदह" शब्द रखा जायेगा।

भाग—2

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 33, वर्ष 1961) (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) का संशोधनः

धारा 6—क, 7—क, 18—क तथा 19—क का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 6—क की उपधारा (1), धारा 7—क की उपधारा (1), धारा 18—क की उपधारा (1), प्रत्येक, के प्रथम परन्तुक में तथा धारा 19—क की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक में, "सत्ताईस" शब्द के स्थान पर "चौदह" शब्द रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्तियां

4. (1) उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज (छठा संशोधन) अध्यादेश, 2005 (उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 2, सन् 2005) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट, अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of The Uttaranchal Threetier Panchayat Raj (Sixth Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 30 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 10 November, 2005.

No. 618/Vidhayee and Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, November 11, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL THREETIER PANCHAYAT RAJ (SIXTH AMENDMENT) ACT, 2005

(Act no. 30 of 2005)

Be it enacted by the State Assembly in the Fifty-sixty year of the Republic of India as follows :—

Further to amend the Uttar Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1947 and the Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam, 1961 (as applicable in the State of Uttaranchal) in the context of the State of Uttaranchal

An

Act

Be it enacted by the State Assembly in the Fifty-sixth year of the Republic of India as follows :—

Short title, Commencement and Extent

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal Threetier Panchayat Raj (Sixth Amendment) Act, 2005.

(2) It shall come into force at once.

(3) It shall extend to the whole State of Uttaranchal.

Part–1

Amendment of the Uttar Pradesh Panchayat Raj Act, 1947 (Act no. 26 of 1947) (as applicable in the State of Uttaranchal) (hereinafter referred to as the Principal Act) :

Amendment of sections 11-A and 12

2. In the first proviso of sub-section (2) of section 11-A and the first proviso of clause (a) of sub-section (5) of section 12 of the principal Act, for the words, "twenty-seven", the word, "fourteen" shall be substituted.

Part–2

Amendment of the Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam, 1961 (Act No. 33 of 1961) (as applicable in the State of Uttaranchal) (hereinafter referred to as the principal Act) :

Amendment of sections 6-A, 7-A, 18-A and 19-A

3. In the first proviso of sub-section (1) of section 6-A, sub-section (1) of section 7-A, sub-section (1) of section 18-A, each and the second proviso of sub-section (1) of section 19-A of the principal Act, for the words, "twenty-seven", the word, "fourteen" shall be substituted.

Repeal and Savings

4. (1) The Uttaranchal Threetier Panchayat Raj (Sixth Amendment) Ordinance, 2005 (the Uttaranchal Ordinance no. 2 of 2005) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such a repeal, any thing done or any action taken under the provisions of the Uttar Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1947 and the Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam, 1961 as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Uttar Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1947 and the Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam, 1961 as amended by this Act, as if the provisions of this Act where in force at all material times.

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 52 विधायी/457–2005–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो) I